



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02092021-229377
CG-DL-E-02092021-229377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3269]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 2, 2021/भाद्र 11, 1943

No. 3269]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 2, 2021/BHADRA 11, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2021

का.आ. 3572(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि दिल्ली राज्य के वेस्ट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-344N के कि.मी. 0 से कि.मी.7 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर जिला मजिस्ट्रेट पश्चिम दिल्ली (भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, जिला पश्चिम, प्लॉट संख्या 3, शिवाजी प्लेस, वेस्ट गेट मॉल, राजा गार्डन, नई दिल्ली) को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

दिल्ली राज्य के वेस्ट जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH344N के कि.मी. 0 से कि.मी.7 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: दिल्ली		जिले का नाम: वेस्ट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: पंजाबी बाघ					
गांव का नाम: नीलवाल					
1	38//14min	निजी	कृषि	0.0185000(हेक्टेयर)	0.0185000
2	38//15/2 min	निजी	कृषि	0.1096000(हेक्टेयर)	0.1096000
3	39//16min	निजी	कृषि	0.0198000(हेक्टेयर)	0.0198000
4	39//17min	निजी	कृषि	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
5	39//18/2min	निजी	कृषि	0.0169000(हेक्टेयर)	0.0169000
6	39//20min	निजी	कृषि	0.0270000(हेक्टेयर)	0.0270000
7	40//18/1min	निजी	कृषि	0.0156000(हेक्टेयर)	0.0156000
8	40//18/3min	निजी	कृषि	0.0021000(हेक्टेयर)	0.0021000
9	48//10min	सरकारी(ग्राम सभा)	गैर कृषि	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
10	48//12min	निजी	कृषि	0.0236000(हेक्टेयर)	0.0236000
11	48//13min	निजी	कृषि	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
12	48//14min	सरकारी(ग्राम सभा)	गैर कृषि	0.0034000(हेक्टेयर)	0.0034000
13	48//17/1min	निजी	कृषि	0.0674000(हेक्टेयर)	0.0674000
14	48//17/2min	निजी	कृषि	0.0042000(हेक्टेयर)	0.0042000
15	48//18min	निजी	कृषि	0.0379000(हेक्टेयर)	0.0379000
16	48//1min	निजी	कृषि	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
17	48//24min	निजी	कृषि	0.2108000(हेक्टेयर)	0.2108000
18	48//25min	सरकारी(ग्राम सभा)	गैर कृषि	0.0169000(हेक्टेयर)	0.0169000

19	48//9min	निजी	कृषि	0.0126000(हेक्टेयर)	0.0126000
20	49//5/2min	निजी	कृषि	0.0114000(हेक्टेयर)	0.0114000
21	51//4 min	सरकारी(ग्राम सभा)	गैर कृषि	0.0084000(हेक्टेयर)	0.0084000
कुल				0.7071	0.7071

[फा. सं. PIU/UER-II/01/05/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2021

S.O. 3572(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-344N in the stretch of land from Km. 0 to Km. 7 in the district of WEST in the state of DELHI, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional District Magistrate West Delhi (Land Acquisition Collector, District West, Plot No. 3, Shivaji Place, Near West Gate Mall, Raja Garden, New Delhi -110027) in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in NH-344N in the stretch of land from Km. 0 to Km. 7 in the district of WEST in the state of DELHI

State: DELHI		District: WEST			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Punjabi Bagh					
Village: Neelwal					
1	38//14min	Private	Agriculture	0.0185000(Hectare)	0.0185000
2	38//15/2 min	Private	Agriculture	0.1096000(Hectare)	0.1096000
3	39//16min	Private	Agriculture	0.0198000(Hectare)	0.0198000

4	39//17min	Private	Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
5	39//18/2min	Private	Agriculture	0.0169000(Hectare)	0.0169000
6	39//20min	Private	Agriculture	0.0270000(Hectare)	0.0270000
7	40//18/1min	Private	Agriculture	0.0156000(Hectare)	0.0156000
8	40//18/3min	Private	Agriculture	0.0021000(Hectare)	0.0021000
9	48//10min	Government(Gram Sabha)	Non Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
10	48//12min	Private	Agriculture	0.0236000(Hectare)	0.0236000
11	48//13min	Private	Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
12	48//14min	Government(Gram Sabha)	Non Agriculture	0.0034000(Hectare)	0.0034000
13	48//17/1min	Private	Agriculture	0.0674000(Hectare)	0.0674000
14	48//17/2min	Private	Agriculture	0.0042000(Hectare)	0.0042000
15	48//18min	Private	Agriculture	0.0379000(Hectare)	0.0379000
16	48//1min	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
17	48//24min	Private	Agriculture	0.2108000(Hectare)	0.2108000
18	48//25min	Government(Gram Sabha)	Non Agriculture	0.0169000(Hectare)	0.0169000
19	48//9min	Private	Agriculture	0.0126000(Hectare)	0.0126000
20	49//5/2min	Private	Agriculture	0.0114000(Hectare)	0.0114000
21	51//4 min	Government(Gram Sabha)	Non-agriculture	0.0084000(Hectare)	0.0084000
Total				0.7071	0.7071

[F. No. PIU/UER-II/01/05/3A]

RAJESH GUPTA, Director